

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आदेश

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या –13092/2015

आदेश दिनांक :

23.11.2016

माननीय न्यायाधिपति श्री संदीप मेहता

याची की ओर से अधिवक्ता श्री हेमन्त चौधरी, उपस्थित।

><><

अयाची सं.1 की ओर से दरखास्त अन्तर्गत अनुच्छेद 226(3) भारतीय संविधान प्रस्तुत की गई है, परन्तु विद्वान अधिवक्ता अनुपस्थित है अतः पत्रावली फरवरी, 2017 में सूचीबद्ध हो।

याची के हक में इस न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 06.11.2015

आगामी आदेश तक जारी रहेगा।

(संदीप मेहता)
न्यायाधिपति

एस.एन.लोहरा
क्र.सं.18